न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

पीठासीन अधिकारीः अशोक सांगवा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–27 / 2025

सरकार जरिये रामसिंह मीना, जिला रसद अधिकारी, अनूपगढ़

–प्रार्थी

बनाम्

श्री दीनदयाल पुत्र दुर्गादत्त वार्ड नं.–29 अनूपगढ़(बालाजी मिष्ठान भंडार गोदाम)

–अप्रार्थी

परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 ए

–:निर्णयः–

दिनांकः–17.07.2025

यह इस्तगासा **रामसिंह मीना, जिला रसद अधिकारी**, द्वारा **परिवाद अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 ए** अन्तर्गत पेश किया जिसमें संक्षेप में वर्णित तथ्य इस प्रकार है–

यह है कि दिनांक–20.09.2024 को जिला रसद अधिकारी, अनूपगढ़ स्थित फर्म / होटल **बालाजी मिष्ठान भंडार गोदाम** पर पहुँचें। जांच के दौरान फर्म **बालाजी मिष्ठान भंडार गोदाम** पर **श्री दीनदयाल पुत्र दुर्गादत्त वार्ड नं.–29 अनूपगढ** मौके पर उपस्थित मिला तथा स्वयं को गोदाम का मालिक बताया। श्री दीनदयाल की उपस्थिति में फर्म **बालाजी मिष्ठान भंडार, बांडा गांव अनूपगढ़** की जांच में पाया कि इस प्रतिष्ठान पर मिठाई बनाने का व्यावसायिक कार्य किया जाता है तथा इस कार्य के लिए **बालाजी मिष्ठान भंडार गोदाम** पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग करना पाया गया। मौके पर बालाजी मिष्ठान भंडार गोदाम 01 घरेलू गैस सिलेण्डर भट्टी से गैस पाईप लाईन के जरिये जुड़ा पाया गया तथा अन्य 02 घरेलू गैस सिलेण्डर भी रखे पाये गये जो कि भट्टी से जुड़े हुए नहीं थे। तीनों घरेलू गैस सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी के पाये गये। श्री दीन दयाल ने घरेलू गैस सिलेण्डर द्वारा प्रतिष्ठान पर मिठाई बनाने में व्यावसायिक कार्य में उपयोग किया जाना बताया। श्री दीनदयाल द्वारा उक्त तीनों घरेलू गैस सिलण्डर कहां से प्राप्त किये है पूछने पर स्पष्ट जवाब नही दिया तथा उक्त सिलेण्डरों के भंडारण संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री अजय कुमार के पास नही मिला।

फर्म **बालाजी मिष्ठान भंडार, बांडा गांव अनूपगढ़** पर पाये गये 03 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 गैस भट्टी, 01 नली रेगुलेटर को जरिए फर्द जब्ती जब्त किये गये एवं सिद्धी विनायक गैस एजेन्सी, अनूपगढ़ के कार्मिक विल्लू गल्होत्रा पुत्र श्री मुस्ताक राय उम्र 55 जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं.–01 सूरतगढ़ आधार संख्या--958926289530 मो. नं.–9610887491 को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द मौका व जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। उपर्युक्त जांच में यह स्पष्ट है कि **श्री दीनदयाल पुत्र दुर्गादत्त वार्ड नं.–29 अनूपगढ** द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध तरीके से व्यावसायिक कार्य में उपयोग किया जा रहा था। **श्री दीनदयाल पुत्र दुर्गादत्त वार्ड नं.–29 अनूपगढ** का उक्त कृत्य कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश–2000 की धारा 3(1)(ख)(ग), 4(1)(क) (ग)(2), 6व7(1)(ग) का स्पष्ट उल्लंधन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है क मौके से 03 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 गैस भट्टी, 01 नली रेगुलेटर को राजसात करने के आदेश फरमावें।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बाद तलबी भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य / सबूत / दस्तावेजात प्रस्तुत नही किए गए है जिससे यह साबित हो सके कि वह घरेलू गैस का व्सावसायिक उपयोग के लिए अधिकृत हो। अप्रार्थी **श्री दीनदयाल पुत्र दुर्गादत्त वार्ड नं.–29 अनूपगढ** का उक्त कृत्य कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा

3(1)(ख)(ग),4(1)(क)(ग)(2),6 व 7 (1)(ग) का स्पष्ट उल्लंधन है। अतः जब्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर ,01 गैस भट्‌टी, 01 नली रेगुलेटर को राजसात करना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचनों के आधार अप्रार्थी **श्री दीनदयाल पुत्र दुर्गादत्त वार्ड नं.–29 अनूपगढ** की दुकान से जब्तशुदा(फर्द मौका जब्तीनुसार) 03 घरेलू गैस सिलेण्डर ,01 गैस भट्‌टी, 01 नली रेगुलेटर को राजसात करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं प्रवर्तन निरीक्षक, अनूपगढ़ को पालनार्थ/आगामी कार्यवाही हेतु भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अशोक सांगवा)आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ